न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कंचन राठौड़ (आर. ए. एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या 57/2021

वादी :–

1. हापुनाथ पुत्र नेननाथ
2. जोरनाथ पुत्र नेननाथ (फौत के उतराधिकारी)
   2/1 जगदीश पुत्र जोरनाथ
   2/2 कानु देवी पत्नी जोरनाथ
   2/3 कोशल्या पुत्री जोरनाथ सभी जातियान नाथ, निवासीगण लवेरा खुर्द तहसील बावड़ी जिला–जोधपुर (राज.)।

प्रतिवादी :–

भूमिधारी जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

अधिवक्ता :–

1. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

–:निर्णयः–

दिनांक 13.06.2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। कि ग्राम लवेरा खुर्द, पटवार हल्का खेड़ापा तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में वादी की कृषि भूमि मौजा ग्राम लवेरा खुर्द के खसरा संख्या क्रमशः 808/4 कुल खसरा 01 का कुल रकबा 3.3331 हैक्टयर में भूमि आयी हुई है। जिसमें लवेरा खुर्द की संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिसमें वादी का नाम कालूनाथ पुत्र नेननाथ एवं जेतनाथ पुत्र नेननाथ दर्ज है । जो गलत है। सही नाम हापुनाथ पुत्र नेननाथ व जोरनाथ पुत्र नेननाथ सही नाम है। राजस्व वाद में साक्ष्य के रूप में वादी ने आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी प्रस्तुत किये गये। जिसमें वादी का सही नाम हापुनाथ पुत्र नेननाथ व जोरनाथ पुत्र नेननाथ है। उक्त वाद में वादी के सही नाम हेतु सह खातेदार गिरधारीनाथ, प्रेमनाथ, रामनाथ ने शपथ पत्र पेश किये [illegible] खुर्द संरपच ने भी नाम शुद्धि हेतु प्रमाण पत्र पेश किया। तहसीलदार बावड़ी से जांच [illegible] हुई। जो शामिल मिसल की गई। तहसीलदार बावड़ी की रिपोर्ट के पैरा [illegible] 5 अनुसार [illegible] के आधार पर जेतनाथ के स्थान पर जोरनाथ व कालूनाथ के स्थान पर हापुनाथ दर्ज किया [illegible]ता है। तो राजहीत प्रभा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:29:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड [illegible] बावड़ी

नहीं होता है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के बाद वादी का राजस्व वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्व वाद स्वीकार योग्य है।

आदेश

वादी का राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम जवेरा खुर्द के खसरा संख्या क्रमशः 808/4 कुल खसरा 01 का कुल रकबा 3.3331 हैक्टयर में भूमि में वादी का नाम कालूनाथ पुत्र नेननाथ के स्थान पर हापुनाथ पुत्र नेननाथ व जेतनाथ पुत्र नेननाथ के स्थान पर जोरनाथ पुत्र नेननाथ दुरस्त कर तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर अमल-दरामद करे। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी
श्रीमती कंचन राठौड़
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

आदेश आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय में मजमे-आम सुनाया गया।

श्रीमती कंचन राठौड़
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

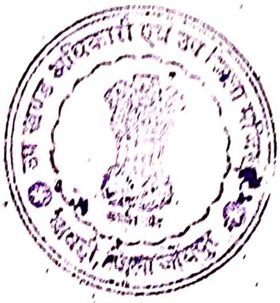

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:29:05 IST
Reason: SelfAttested